HSBC इंडिया फ्रेमवर्क का पर्यावरणीय व सामाजिक यथोचित परिश्रम (E&S Due Diligence)

परिचय

भारत को अपने ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ती मांग और जीवाश्म ईंधन पर निरंतर निर्भरता की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गैर-जीवाश्म क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी 2030 NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसकी वर्तमान नवीकरणीय क्षमता को दोगुना से अधिक करना आवश्यक है।

यह उप-परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला विनिर्माण ('लेनदेन') के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए Green Guarantee Company (GGC) और HSBC India के बीच एक फ्रेमवर्क की स्थापना करती है। HSBC इंडिया फ्रेमवर्क ('फ्रेमवर्क') को मानक शर्तों और प्रतिबंधों को निर्धारित करके, अंतिम उधारकर्ताओं (end borrowers) को HSBC India के ऋण के लिए गारंटी जारी करने को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह फ्रेमवर्क GCF द्वारा अनुमोदित Green Guarantee Company (FP197) कार्यक्रम की एक उप-परियोजना है।

इस पर्यावरणीय व सामाजिक यथोचित परिश्रम (ESDD) का फोकस इस फ्रेमवर्क को नियंत्रित करने वाली HSBC India और GGC नीतियों और प्रक्रियाओं पर है, जिन्हें फ्रेमवर्क के तहत वित्त पोषित लेनदेन के पर्यावरणीय व सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन करने के लिए अपनाया जाएगा।

जोखिम श्रेणी

इस फ्रेमवर्क के लिए निर्दिष्ट जोखिम श्रेणी, श्रेणी I-2 है, क्योंकि गारंटी की लाभार्थी एक वित्तीय मध्यस्थ (HSBC India) है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला लेनदेन में निवेश करती है। HSBC India की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अलावा, GGC, GGC पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली और परिचालन मैनुअल (GGC ESMS), GGC गारंटी नीति और बहिष्करण सूची के तहत पात्रता मानदंड (वित्त पोषण प्रस्ताव के तहत GCF द्वारा अनुमोदित सभी दस्तावेज) के साथ संरेखण के लिए इस फ्रेमवर्क के तहत प्रत्येक लेनदेन की स्क्रीनिंग करेगी।

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रस्तावित लेन-देन में ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां शामिल होने की संभावना है, जिनमें संभावित सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम हों, तथा प्रभावों की संख्या

कम हों, आम तौर पर स्थल-विशिष्ट हों, अधिकांश तौर पर प्रतिवर्ती हों, तथा शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संभाल जा सकें। उन लेनदेनों को श्रेणी B के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने की आशा है।

पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) जोखिम आकलन

HSBC जोखिम प्रबंधन टीम इक्वेटर सिद्धांतों और HSBC स्थिरता जोखिम नीतियों का उपयोग करते हुए, दायरे में आने वाले लेनदेनों की पहचान करेगी। ये लेनदेन GGC पात्रता मानदंड (GGC गारंटी नीति और बहिष्करण सूची) को भी पूरा करेंगे, जिन्हें इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन दस्तावेज में श्रेणी B लेनदेन के लिए पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ESIA), पर्यावरणीय व सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) और जहां लागू हो, पर्यावरणीय व सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) शामिल हैं (लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं है)।

GGC, GGC ESMS के अनुसार लेनदेन के पर्यावरणीय व सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन करेगा, जिसके लिए लागू स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यावरणीय व सामाजिक कानूनों और विनियमों, IFC प्रदर्शन मानकों (2012), विश्व बैंक पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देशों और क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देशों, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मुख्य श्रम सम्मेलनों के साथ संरेखण की आवश्यकता होती है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन के लिए GGC प्रभाव एवं ऋण समितियों से अनुमोदन आवश्यक होगा।

जहां अंतराल देखे जाते हैं, वहां पर्यावरणीय व सामाजिक ऐक्शन प्लान (GGC ESMS में टेम्पलेट के साथ संरेखित) और इक्वेटर सिद्धांत प्लान (EPAP) में उनको कम करने वाली व सुधारात्मक कार्रवाई दर्ज की जाएगी, जो HSBC और अंतिम उधारकर्ता के बीच ऋण समझौते का हिस्सा बन जाएगी।

इसके अलावा, उच्च जोखिम श्रेणी B लेनदेन के लिए, HSBC EP विषय-वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा उस लेनदेन की निगरानी की जाएगी। लेनदेन पर पर्यावरणीय व सामाजिक यथोचित परिश्रम (ESDD) करने और उसे तैयार करने के लिए स्वतंत्र पर्यावरणीय व सामाजिक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी।

HSBC पर्यावरणीय व सामाजिक प्रणाली और नीतियों की अनुपालन समीक्षा

HSBC द्वारा प्रस्तुत स्थिरता और ESG से संबंधित नीतियां GGC ESMS के अनुरूप हैं, और इस फ्रेमवर्क के तहत अपेक्षित श्रेणी B या C लेनदेन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त हैं। जहां GGC ESMS से मतभेद होंगे, वहां अधिक कठोर आवश्यकताएं (शर्तें) लागू की जाएंगी। HSBC भी GCF से मान्यता प्राप्त संस्था है और फ्रेमवर्क पर लागू उनकी पर्यावरणीय व सामाजिक प्रबंधन प्रणाली के स्वीकार्य होने की आशा है।

- HSBC ESMS: HSBC स्थिरता जोखिम नीतियां (फरवरी 2025) HSBC जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और कार्यान्वयन के साधनों की व्याख्या करती है। ये नीतियां पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों से संबंधित साख, ऋण, कानूनी और अन्य जोखिमों को कम करने पर केंद्रित हैं। HSBC, इक्वेटर सिद्धांतों (EP)[1] (2003 में अपनाया गया) की हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका अर्थ है कि इसने IFC पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानकों (IFC) को सुरक्षा तंत्र के रूप में अपनाया गया है। यह GGC ESMS की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- श्रम एवं कार्य स्थितियां (IFC PS2): स्थायित्व जोखिम नीतियों और EP के अतिरिक्त, HSBC के पास ऐसी नीतियां हैं जो उनके कर्मचारियों और कार्य स्थितियों की सुरक्षा करती हैं। इन नीतियों[2] में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति, मानसिक स्वास्थ्य नीति, HSBC मानवाधिकार वक्तव्य, आधुनिक दासता अधिनियम, पारिश्रमिक प्रथाएं एवं शासन, तथा व्हिसलब्लोइंग व्यवस्था शामिल हैं, लेकिन ये तक ही सीमित नहीं हैं। यह GGC ESMS के साथ संरेखित होती है।
- हितधारक सहभागिता: इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेन-देन स्तर पर, सभी संबंधित हितधारकों के साथ संरचित और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से सहभागिता होगी, जो EP और GGC ESMS की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हितधारक सहभागिता के विवरण, सहभागिता की योजना, प्रक्रिया और परिणाम की समीक्षा अनुमोदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में HSBC और GGC द्वारा की जाएगी।
- शिकायत निवारण तंत्र: भारत में HSBC के पास एक शिकायत रिपोर्टिंग प्रणाली और एक शिकायत निवारण नीति है जो शिकायतों को करने के तरीके और एक संरचित ढांचे के माध्यम से हितधारकों की शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है।[3] शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तर हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल योजना तक शिकायत को आगे बढ़ाना भी शामिल है। यह प्रावधान EP आवश्यकताओं के अनुरूप है। लेनदेन स्तर पर, अंतिम उधारकर्ताओं द्वारा अलग शिकायत तंत्र स्थापित किया जाएगा और अनुमोदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में GGC द्वारा तंत्र के प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।
- SEAH (यौन शोषण, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न) से सुरक्षा: HSBC मानवाधिकार वक्तव्य[4] में मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है तथा उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो उनके परिचालनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक

[1] The Equator Principles_EP4_July2020

[2] ESG रिपोर्टिंग सेंटर | HSBC Holdings plc

[3] फीडबैक और शिकायतें | सहायता और सपोर्ट - HSBC IN

[4] HSBC मानवाधिकार वक्तव्य, इस लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध है: https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/who-we-are/pdf/230710-hsbc-human-rights-statement.pdf?download=1

हैं। EP के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, यह फ्रेमवर्क IFC प्रदर्शन मानक (PS) की आवश्यकताओं, विशेष रूप से PS4 (सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा) का अनुपालन करेगा, जिसमें SEAH के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। लेनदेन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, GGC अंतिम उधारकर्ता की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगा और जहां कमियों की पहचान की जाएगी, वहां सुधारात्मक कार्रवाई पर सहमति बनाई जाएगी और उसे लेनदेन से जुड़े पर्यावरणीय व सामाजिक ऐक्शन प्लान (ESAP) में दर्ज किया जाएगा।

- पर्यावरणीय व सामाजिक जिम्मेदारियां और जवाबदेही: HSBC बोर्ड ESG रणनीति की समग्र जिम्मेदारी लेता है, तथा दृष्टिकोण, क्रियान्वयन और संबंधित रिपोर्टिंग के विकास में कार्यकारी प्रबंधन की देखरेख करता है। बोर्ड स्तर के शासन के अंतर्गत, प्रबंधन स्तर पर, ESG समिति, ESG रणनीति और नीतियों की निगरानी करती है, जिसमें प्रतिबद्धताओं, डिलिवरेबल्स और लक्ष्यों पर प्रगति की निगरानी और बोर्ड को रिपोर्ट करना शामिल है।[5]
- लैंगिक-सकारात्मक प्रभाव: HSBC के पास बोर्ड स्तर पर विविधता और समावेशन की नीति है, जिसमें निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और बोर्ड में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। लेनदेन के स्तर पर, GGC ऊर्जा क्षेत्र और विशेष रूप से भारत के लिए GGC लैंगिक मूल्यांकन (वित्त पोषण अनुमोदन के दौरान GCF द्वारा अनुमोदित) में निष्कर्षों का उपयोग करके लैंगिक सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के अवसरों का पता लगाएगी। जहां उपयुक्त होगा, अंतिम उधारकर्ताओं के लिए कार्य योजना के हिस्से के रूप में लैंगिक-सकारात्मक ऐक्शन शामिल किए जाएंगे।

निगरानी व रिपोर्टिंग

- पर्यावरणीय व सामाजिक प्रदर्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग: GGC ESMS की अपेक्षा के अनुसार, अंतिम उधारकर्ताओं द्वारा लेनदेन स्तर पर पर्यावरण व सामाजिक निष्पादन की रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि जिम्मेदार व्यावसायिक संचालनों और प्रथाओं को लागू किया जा रहा है। निगरानी की प्रकृति इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेनदेन के पर्यावरणीय व सामाजिक जोखिमों पर निर्भर करेगी। EP के अनुसार, उच्च जोखिम श्रेणी B लेनदेन के लिए स्वतंत्र पर्यावरणीय व सामाजिक सलाहकार द्वारा स्वतंत्र निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी।

[5] वार्षिक रिपोर्ट और लेखा 2024 से (ESG प्रकटीकरण के लिए पेज 42-84 देखें)। इस लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध है: https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/hsbc-results/2024/annual/pdfs/hsbc-holdings-plc/250219-annual-report-and-accounts-2024.pdf?download=1

- प्रमुख घटनाओं की रिपोर्टिंग: जैसा कि GGC ESMS द्वारा अपेक्षित है, इस फ्रेमवर्क में लेनदेन के स्तर पर उठाई गई शिकायतों और प्रमुख घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता शामिल होगी। घटना/ईवेंट/दुर्घटना की सूचना GGC को दिए जाने के बाद, ऐसी रिपोर्टिंग पर प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया और समय-सीमा, GGC ESMS के अनुरूप होगी।

अनुलग्नक:

GGC द्वारा लेनदेन स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में, पूर्ण लेनदेन स्कोर कार्ड (GGC ESMS में टेम्पलेट) को नीचे शामिल किया गया है, ताकि गो/नो-गो मूल्यांकन के परिणाम को दस्तावेजित किया जा सके।

स्कोर कार्ड मानदंड	गो /नो-गो / लंबित	टिप्पणियां
1. यह लेनदेन **एक पात्र उधारकर्ता द्वारा विकसित** किया गया है और यह GGC की गारंटी नीति में परिभाषित जोखिम सीमा को **पूरा करता** है।	गो	HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत अंतिम उधारकर्ता निजी क्षेत्र की संस्थाएं होंगी, जो GGC की गारंटी नीति के अनुसार "पात्र उधारकर्ता" के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी। GGC के बहिष्करण इस फ्रेमवर्क पर लागू होंगे। GGC अंतिम उधारकर्ता वर्गीकरण, स्वामित्व संरचना और काउंटर पार्टी की पात्रता आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करेगी। अधिकतम वैयक्तिक लेनदेन का आकार 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो GGC के कुल दावा भुगतान संसाधनों का 50% है, जो इस नीति में सिंगल-ऑब्लिगर जोखिम सीमा के अनुरूप है।
2. यह लेनदेन GGC के क्षेत्र और देश के मानदंडों को **पूरा करता** है, जैसा कि इसकी गारंटी नीति में निर्धारित किया गया है, तथा GGC के पात्र क्षेत्रों, परिणाम क्षेत्रों या उद्योगों के **अंतर्गत आता** है।	गो	फ्रेमवर्क लेनदेनों का लक्ष्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला निवेश होगा। गारंटी नीति के अनुरूप पात्र एसेट क्लासों में सौर, पवन, भूतापीय, जैव ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ट्रांसमिशन और वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टोरेज शामिल होंगे। जल विद्युत और अन्य निष्कासित गतिविधियों को इस नीति के अनुसार स्पष्ट रूप से निष्कासित रखा जाएगा। यह ऊर्जा क्षेत्र में GHG शमन के लिए क्षेत्रीय मानदंडों (GCF MRA 1) को पूरा करता है। भारत ODA प्राप्तकर्ताओं की DAC सूची में है और इसे GGC प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित किया गया है।
3. जलवायु बांड पहल (CBI) मानक और प्रमाणन आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज **मौजूद हैं**।	गो	GGC यह सुनिश्चित करेगा कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेनदेन CBI मानक के अनुरूप एसेट विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
4. पात्र उधारकर्ता ने दस्तावेजीकरण में संभावित सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों पर **विचार किया** है, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तथा उन्हें सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ा है।	गो	सकारात्मक परिणाम सृजन करने के अवसरों की खोज की जाएगी तथा लेनदेन दर लेनदेन आधार पर लागू करने हेतु उनकी पहचान की जाएगी। GGC इस बात की पुष्टि करेगा कि क्या अंतिम उधारकर्ता ने अपेक्षित पर्यावरणीय व सामाजिक लाभों पर विचार किया है, मापे जा सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तथा उन्हें प्रासंगिक SDG के साथ मैप किया है। यदि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो GGC यह आकलन करेगा कि क्या लेनदेन के संदर्भ में ऐसे दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है, तथा यदि उपयुक्त हो तो ESAP में इस कार्रवाई को शामिल करेगा।
5. पात्र उधारकर्ता ने संभावित लैंगिक-समावेशी परिणामों पर **विचार किया** है।	गो	लैंगिक-सकारात्मक प्रभाव और लैंगिक रूप से उत्तरदायी लक्ष्यों को विकसित किया जाएगा और इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। लैंगिक-सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के अवसरों वाले लेनदेनों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक KPI होंगे। लैंगिक-समावेशी

		प्रभाव, GGC के लैंगिक मूल्यांकन और लैंगिक कार्य योजना के अनुरूप होगा।
6. पात्र उधारकर्ता ने ESG अनुपालन पर **विचार किया** है, अब तक उपयुक्त दस्तावेजीकरण को पूरा कर लिया है और उससे सभी बकाया ऐक्शन्स में संलग्न होने की अपेक्षा की जाती है।	गो	इक्वेटर सिद्धांत, HSBC स्थिरता जोखिम नीतियां और GGC ESMS इस फ्रेमवर्क पर लागू हैं और इस फ्रेमवर्क के तहत सभी लेनदेन के लिए सुरक्षा तंत्र हैं। ऋण की स्वीकृति के लिए, अंतिम उधारकर्ता को ESG अनुपालन प्रदर्शित करना होगा और सभी उपयुक्त दस्तावेज पूरे करने होंगे तथा बकाया ऐक्शन्स को करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।